कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म०प्र० भोपाल

कमांक/निस/286 भोपाल, दिनांक 28-2-2001

प्रति,

समस्त वन संरक्षक
समस्त वनमंडलाधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषय :—वन सीमा पर मुनारों का निर्माण निर्धारित मापदंड के अनुसार सुनिश्चित करनेके संबंध में

वन सीमा मुनारों के निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा स्पष्ट और विस्तृत निद्रेश जारी किये गये हैं ।

वन सीमा मुनारा निर्माण विभाग का अत्यंत महत्वपूर्ण (SACROSANCT) कार्य है, क्योंकि यह हमारी वन संपदा की सीमा निर्धारित करता है ।

पक्के वन सीमा मुनारे कालावधि हेतु बनाये जाते हैं । अंग्रेजों तथा राजाओं के समय के बनाये गये मुनारे अभी तक यथावत खड़े हैं, अतः मुनारे बड़ी सावधानी तथा निर्धारित मापदंड के अनुसार बनाये जाना आवश्यक है ।

वन सीमा का निर्धारण सही हो इस दृष्टि से यह निर्देश दिये गये थे कि पक्के मुनारे निर्माण के पूर्व वनमंडलाधिकारी/उप वनमंडलाधिकारी स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि सीमा लाइन बिल्कुल सही है तत्पश्चात् ही मुनारे बनाये जायेंगे ।

मुनारा निर्माण निर्धारित मापदंड के अनुसार बन सकें इस दृष्टि से मुनारा निर्माण की दर निर्धारण का अधिकार स्थानीय वन संरक्षक को दिया गया है ताकि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्माण दर घटा बढ़ा सकें।

उपरोक्त निर्देशों के बावजूद क्षेत्र में अपेक्षित स्तर का कार्य नहीं हो रहा है ।

एक विधान सभा प्रश्न के उत्तर की समीक्षा में पाया गया कि —

1— मुनारा निर्माण स्थल का निरीक्षण वनमंडलाधिकारी/उप वनमंडलाधिकारी व्दारा नहीं किया गया जिसके कारण मुनारा सही जगह पर न बनकर वन सीमा के अन्दर बना जिसके कारण वन भूमि ही वन सीमा के बाहर निकल गयी ।

2— जितने मुनारों का व्यय परिक्षेत्र अधिकारी व्दारा चार्ज किया गया मौके पर उतनी संख्या से कम मुनारे पाये गये अर्थात् मुनारा बनाये बिना ही उनका फर्जी समायोजन किया गया ।

3— बनाये गये मुनारे निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं थे बल्कि अन्दर लूज बोल्डर भरकर ऊपर से सीमेन्ट का प्लास्टर/टीप कर दिया गया ।

स्पष्ट है कि मुनारा निर्माण जैसे कार्य को भी विभाग के स्पष्ट और कड़े निर्देशों के बावजूद हमारे क्षेत्रीय अधिकारी कितनी लापरवाही और हल्के पन से ले रहे हैं । यह भी स्पष्ट है कि

मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी वनसीमा मुनारे निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को फील्ड में नहीं देख रहे हैं ।

यह विभागीय निर्देशों की अवहेलना के साथ–साथ वन अधिकारी की व्यवसायिक अपेक्षा के प्रतिकूल है ।

यह अत्यंत चिन्ता और चिन्तन का विषय है तथा इसमें प्रत्येक स्तर पर कसावट लाने तथा दोषी अधिकारियों अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुध्द कड़ी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है ।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने वृत्त में बनाये जारहे सीमा मुनारों का विस्तृत निरीक्षण कर प्रतिवेदन दें कि वनाये गये मुनारे की क्वालिटी व संख्या सही है । इस हेतु आप स्वतः फील्ड में चेकिंग करे और टीम बनाकर इसकी चेकिंग करायें ।

कृपया भविष्य में या तो मुनारे बनाये ही न यदि बनाये तो निर्धारित मापदंड के अनुसार ही बनायें अन्यथा इस हेतु आप जबावदार ठहराये जायेंगे ।

मुनारा निर्माण के संबंध में दोषी /लापरवाह अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुध्द कड़ी कार्यवाही करें और जो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है उनके संबंध में प्रस्ताव तत्काल इस कार्यालय को भेजें ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0भोपाल

पृ0क/निस/287 भोपाल,दिनांक 28-2-2001

प्रतिलिपिः–

समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कृपया सीमा मुनारा निर्माण जैसे पवित्र कार्य का निरीक्षण अपने क्षेत्रीय दौरे में आवश्यक रुप से करें । यद्यपि अनेक प्रकरणों में देखा जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी विभाग के निर्देशों को बड़े हल्केपन से लेरहे हैं फिर भी आपको लिखना और यह अपेक्षा करना व्यवसायिक कार्यो के प्रति आपके मन में कुछ उत्साह और दायित्व की भावना जागेगी । इसी उद्देश्य से यह पत्र आपको पृष्ठाकित किया जा रहा है ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0भोपाल